महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय,
तिरुवनन्तपुरम-695 001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहिताय सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001

P19/IV/DRSSA/222469/1166, 1167 Dated: 24.12.2025

To,

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Grant of revised rate of dearness relief @ 58% to the government servants/ pensioners/ family pensioners of the state government, revised/ effective from 01/01/2016, with effect from 01/07/2025-reg.

Ref: Resolution No. 33-Vi. (Dearness Allowance/ Dearness Relief_-54/2017/2523/Vi dated 16/10/2025, issued by Government of Jharkhand, Department of Finance.

I am to enclose herewith the copy of resolution received from the office of the Government of Jharkhand, Department of Finance, regarding above mentioned subject. The same is being placed on the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, **under pension>>download>> "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners>>Jharkhand"**. A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Encl: As stated above.

Yours faithfully

24/12/25

Senior Accounts Officer

Copy to:-

1. The Director of Treasuries
   Thiruvananthapuram

2. Government of Jharkhand,
   Department of Finance,-**For Information.**

Senior Accounts Officer

दूरभाष/Telephone: 0471-2776100 फेक्स/Fax: 0471-2330242 ई-मेल/Email: agaekerala@cag.gov.in
वेबसाइट/Website : cag.gov.in/ae/kerala/en

Scanned with ACE Scanner

पत्रांक : 33 / वि॰ (महँगाई भत्ता / महँगाई राहत)–54 / 2017 / 2523 / वि॰

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

राँची / दिनांक : 16/10/2025

संकल्प

विषय : **दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित / प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2025 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।**

केन्द्र सरकार के द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अपने पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत पेंशन पुनरीक्षण के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को योजना–सह–वित्त विभागीय संकल्प संख्या 218 / वि॰ दिनांक 18.01.2017 द्वारा पेंशन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–9.1 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महँगाई राहत अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 42/02/2024-P & PW (D) दिनांक 08.10.2025 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान / वेतन संरचना (सातवॉ वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई राहत की वर्त्तमान दर को 55% (पचपन प्रतिशत) से बढ़ाकर 58% (अन्ठावन प्रतिशत) करने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को वर्त्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

"राज्य के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218 / वि॰ दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से मूल पेंशन का 58% (अन्ठावन प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया जाय"।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2474 / वि० दिनांक 14.10.2025 के क्रम में दिनांक 14.10.2025 की बैठक के मद सं० 14 में दी गई है।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार / उप–कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Scanned with ACE Scanner

ज्ञापांक : 33/वि॰ (महँगाई भत्ता/महँगाई राहत)–54/2017..2523/वि॰ राँची, दिनांक 6/10/2...

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार/ उप–कोषागार पदाधिकारी/ पेंशन शाखा, वित्त विभाग/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग/ वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, झारखंड, रांची/ सांख्यिक वित्त प्रभाग, वित्त विभाग को संबंधित बैंक को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/उप महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/सभी राज्यों के महालेखाकार कार्यालय/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के प्रसंग में महँगाई राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/10/25

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Scanned with ACE Scanner

Letter No. 33/Vi. (Dearness Allowance/Dearness Relief)-54/2017/2523/Vi.

GOVERNMENT OF JHARKHAND

DEPARTMENT OF FINANCE

Ranchi/Dated 16.10.2025

RESOLUTION

Sub: Increase in the rates of Dearness Relief with effect from 01st July 2025 to the Pensioners/Family Pensioners of the State Government, revised/effective from 01.01.2016 - reg.

Vide Planning-cum-Finance Department Resolution No. 218/Vi. dated 18.01.2017, pension revision has been permitted to the Pensioners/Family Pensioners of the State Government, in line with the pension revision sanctioned with effect from 01.01.2016 by the Central Government to their Pensioners/Family Pensioners consequent to Seventh Pay Revision. In Para 9.1 of the above Resolution, Dearness Relief has been permitted in line with the Central Government.

2. Vide Letter No. 42/02/2024-P&PW(D) dated 08.10.2025 of the Ministry of Public Grievances and Pension, Government of India, it has been decided to increase the present rate of Dearness Relief of 55% (Fifty Five percent) to 58% (Fifty Eight percent) with effect from 01.07.2025 in the revised pay scale/pay structure (Seventh Payscale) to the Pensioners/Family Pensioners of the Central Government.

3. In the above context, after due consideration, it has been decided to revise the rate of Dearness Relief permissible at present to the Pensioners/Family Pensioners of the State Government as below, in line with the Central Government:

"Dearness Relief of 58% (Fifty Eight percent) of basic pension may be sanctioned with effect from 01.07.2025 to those Pensioners/Family Pensioners of the State whose basic pension has been revised (Seventh Pay Revision) with effect from 01.01.2016 vide Department of Finance, Resolution No. 218/Vi. dated 18.01.2017."

4. Sanction of the Council of Ministers has been given on this proposal, in item no. 14 of meeting dated 14.10.2025, in continuation to Department of Finance, Document Memo. No. 2474/Vi. Dated 14.10.2025.

Order: It is ordered that this Resolution be published in the extraordinary edition of the Gazette of Jharkhand and its copies forwarded to all the Treasuries/ Sub Treasuries and the Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi.

By orders of the Governor of Jharkhand,
Sd/-
(Prashant Kumar)
Secretary,
Department of Finance, Jharkhand, Ranchi

Scanned with ACE Scanner